

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-~~2888~~/9-1-14-21सा/09
लखनऊ : दिनांक 3⁰ सितम्बर, 2014
संशोधन/शुद्धिपत्र

वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था में संशोधन/स्पष्टीकरण के संबंध में शासनादेश संख्या 2805/9-1-14-21सा/09 दिनांक 11-7-14 के प्रस्तर-3 में त्रुटिवश शासनादेश 700/9-1-14-21सा/09 दिनांक 07-2-14 टंकित होने से रह गया है। अतः अब शासनादेश 2805/9-1-14-21सा/09 दिनांक 11-7-14 का प्रस्तर-3 निम्नानुसार पढ़ा जाय :-

प्रस्तर-3 शासनादेश संख्या-700/9-1-14-21सा/09 दिनांक 07.02.14 एवं शासनादेश संख्या-2804/नौ-1-14-21सा/09, दिनांक 11-07-2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत प्रभावी रहेगीं।

2- अतः शासनादेश संख्या-2805/नौ-1-14-21सा/09, दिनांक-11-07-2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सुधीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव।

2888(1)
संख्या- / नौ-1-2014, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग/ जल संस्थान उ0प्र0।
6. समस्त अध्यक्ष/अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8. वित्त(वितेन आयोग) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
9. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
10. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
- ✓ 11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव। ✓